

प्रेषक,
अतर सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण/सिचाई/लघु सिचाई/
ग्रामीण निर्माण विभाग/शहरी विकास/
आवास/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/
पेयजल/जलागम/ग्राम्य विकास/
पंचायतीराज/कृषि/उर्जा(उरेडा)/
पर्यटन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2015

कार्मिक अनुभाग-2

सचिव-कार्मिक, अतर सिंह, देहरादून
संख्या-13601 दिनांक 17/12/15

विषय: उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की माँगों के संबंध में।

AS (PwD, 110)

श्री अतर सिंह (अतर सिंह)

18/12

(डी०ए०ए० प्रवर्धित)

सचिव
मा० मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-425/XXX(2)/2013, दिनांक 21 मार्च, 2013 के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य ग्रेड वेतन 4800 में सृजित अपर सहायक अभियन्ता के पद को निम्न प्रतिबन्ध के अधीन पदोन्नति का पद न माने जाय।

की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के पद पर कुल 10 वर्ष सेवावधि पूर्ण करने के पश्चात ही यथानियम प्रथम ए०सी०पी० के रूप सहायक अभियन्ता ग्रेड पे 5400 अनुमन्य होगा।

शासनादेश संख्या-425/XXX(2)/2013, दिनांक 21 मार्च, 2013 उक्त सी तक संशोधित समझा जाय।

3- तदनुसार सभी संबंधित विभाग सुसंगत सेवानियमावलियों में संशोधन किया जा सुनिश्चित करेंगे।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1061/XXVII (F-7)/ दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Dehra

(अरविन्द सिंह, ए०सी०पी०)
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री नारायण
23/12/15

41
03/01/16

5-6-1
D S (PwD)
21-12-15

भवदीय
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

P. T. O.

संख्या /XXX(2)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
- 3 महालेखाकार, ओबराय भवन माजरा रोड देहरादून
- 4 समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
- 5 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6 अध्यक्ष/महासचिव, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, उत्तराखण्ड।
- 7 वित्त अनुभाग-5/7
- 8 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अफिसर
लोक निर्माण विभाग देहरादून

सूच सं 41 / 197 व्यय-सां / 2015

दिनांक 12/01/2016

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) समस्त मुख्य अफिसर स्तर-1/II, लोक निर्माण विभाग - - -
- 2) समस्त अधीक्षक अफिसर, लोक निर्माण विभाग - - -
- 3) समस्त अधीक्षक अफिसर, लोक निर्माण विभाग - - -
- 4) पत्रवली सं 6 (1) व्यय/2015 एवं पत्रवली सं 165 व्यय/सां/16 के अन्तर्गत हेतु

12/01/2016
मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग
कार्यालय प्रमुख अफिसर, लोक निर्माण विभाग
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून